"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009.



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 342] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2009—कार्तिक 22, शक 1931

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

आदेश

क्रमांक 7539/2627/21-ब/2009.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा (निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्य), परिवीक्षाधीन सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) को सेवा में स्थायीकरण के उपयुक्त नहीं पाये जाने पर, श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा को, तत्काल प्रभाव से, सेवा से मुक्त (discharged from service) करता है.

Raipur, the 6th November 2009

ORDER

No. 7539/2627/XXI-B/2009.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 11 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 on the recommendation of the High Court of Chhattisgarh, Shri Satyendra Kumar Mishra (Member of Lower Judicial Service), probationer Civil Judge (Entry Level) who has not been found suitable for confirmation, the State Government, hereby discharge Shri Satyendra Kumar Mishra from service with immediate effect.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

आदेश

क्रमांक 7541/2627/21-ब/2009.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्रीमती श्रद्धा आकाश श्रीवास्तव (निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्य), परिवीक्षाधीन सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) को सेवा में स्थायीकरण के उपयुक्त नहीं पाये जाने पर, श्रीमती श्रद्धा आकाश श्रीवास्तव को, तत्काल प्रभाव से, सेवा से मुक्त (discharged from service) करता है.

Raipur, the 6th November 2009

ORDER

No. 7541/2627/XXI-B/2009.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 11 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 on the recommendation of the High Court of Chhattisgarh, Smt. Shraddha Aakash Shrivastava (Member of Lower Judicial Service), probationer Civil Judge (Entry Level) who has not been found suitable for confirmation, the State Government, hereby discharge Smt. Shraddha Aakash Shrivastava from service with immediate effect.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

आदेश

क्रमांक 7543/2627/21-ब/2009.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर कु. द्वारिका तिड़के (निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्य), परिवीक्षाधीन सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) को सेवा में स्थायीकरण के उपयुक्त नहीं पाये जाने पर, कु. द्वारिका तिड़के को, तत्काल प्रभाव से, सेवा से मुक्त (discharged from service) करता है.

Raipur, the 6th November 2009

ORDER

No. 7543/2627/XXI-B/2009.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 11 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 on the recommendation of the High Court of Chhattisgarh, Ku. Dwarika Tidke (Member of Lower Judicial Service), probationer Civil Judge (Entry Level) who has not been found suitable for confirmation, the State Government, hereby discharge Ku. Dwarika Tidke from service with immediate effect.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2009

आदेश

क्रमांक 7545/2627/21-ब/2009.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री यशपाल सिंह टण्डन (निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्य) परिवीक्षाधीन सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) को सेवा में स्थायीकरण के उपयुक्त नहीं पाये जाने पर, श्री यशपाल सिंह टण्डन को, तत्काल प्रभाव से, सेवा से मुक्त (discharged from service) करता है.

Raipur, the 6th November 2009

ORDER

No. 7545/2627/XXI-B/2009.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 11 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 on the recommendation of the High Court of Chhattisgarh, Shri Yashpal Singh Tandon (Member of Lower Judicial Service), probationer Civil Judge (Entry Level) who has not been found suitable for confirmation, the State Government, hereby discharge Shri Yashpal Singh Tandon from service with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.